

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री के०पी० राठौर।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

फरियादी जुबैदा उप०।

फरियादी ने उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा की संभावना व्यक्त की।  
अतः उभयपक्षों ने राजीनामा की संभावना हेतु मीडिएशन में प्रकरण रैफर किए जाने  
का निवेदन किया है।

उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये  
प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण रूप से  
निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः न्याय दृष्टांत A fcons Infrastructure  
Limited Vs Cheriyan Varkey Construction Company private  
Limited (2010)8 SSC 24 में दिए गए निर्देश के अनुसार मध्यस्थता के  
लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।

5-8/8



उभयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्षित मध्यस्थ श्रीडी0सी0 थपलियाल, एएसजे गोहद का चुनाव किया है।

अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को भेजा जाये। उभय पक्ष दिनांक 17.01.17 को 3 बजे मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हों। मध्यस्थ को निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता का परिणाम सफल/असफल जो भी हो दिनांक 22.01.17 तक सूचित करें।

प्रकरण आगामी दिनांक 22.01.17 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन की प्रस्तुती हेतु पेश हो।

(A.K.Gupta)  
Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt.Bhind (M.P.)

प्रस्तावः

राज्य द्वारा ए डी पी ओ उपस्थित।

अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री के0पी0 सोमर उप0।

मध्यस्थ न्यायालय से मध्यस्थता सफलता की टीप प्राप्त।

फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमति बाबत मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त; पहचान संबंधी दस्तावेज की छायाप्रति सहित प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री एस0एस0 तोमर एव अभियुक्त की पहचान अधिवक्ता श्री के0पी0 राठौर द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी का राजीनामा कथन उसके निवेदन पर अंकित कराया गया।

अभियुक्त पर भा0द0वि0 की धारा 325 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है 325 न्यायालय की अनुमति से शमनीय है जबकि शेष स्वयं फरियादी द्वारा शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 325 भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्त के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते है।

प्रकरण में जप्त शुदा संपत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।

(A.K.Gupta)